MR. CHAIRMAN: You should be happy that your Minister is being applauded. (*Interruptions*).

SHRI E. BALANANDAN: The hon. Minister did not specify why the Government of India had agreed to take that wheat against the conditions they themselves had stipulated in the contract. In the contract the condition was that this particular variety of wheat was not to be supplied. The defects were there in that imported wheat. So, my point is that against the conditions stipulated in the contract the wheat was allowed to be imported.

Second, it was stated by experts that it should not be consumed by military personnel. All right. But South Indians and people of other States consume it. How is it possible? He certifies as a doctor that there would be no mal-effect throughout India after consuming it. How does he know that? I don't know. Is it that the South Indians and other people who are not growing wheat can take it and the Government assumes that it can be sent to the South Indian states. How is it possible that the military people cannot take it and the South Indian people can take it? I want a straight answer from the hon. Minister. Why has the Government allowed the purchase of the wheat in the country against the conditions of the contract?

SHRI NATHU RAM MIRDHA: The wheat was of the specification, जो कंडीशन में आता था, अगेन्स्ट कंडीशन नहीं खरीदा। अब यह कहते हैं कि दक्षिण में ही क्यों भेजा। दक्षिण में इसलिए भेजा ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : पहला जवाब तो आपका यह है कि आपने जो वोट खरीदा, वह कायदे के अंदर था ?

श्री नाथू राम मिर्धा : वह स्पेसिफिकेशन के विद्इन था क्योंकि हमको यह मालूम है कि जहां सर्दी होती है और बर्फ होती है माइनर ट्रेसेज इन फंगस, और हमको ज्ञान था, बियांण्ड स्पेसिफिकेशन अगर होता तो हम नहीं लेते, पर वह विद्इन स्पेसिफिकेशन था। ... (**व्यवधान**)...

I am myselmf convinced. Otherwise I would not have said about it.

MR. CHAIRMAN: He has said that it was within the specifications. That is what he said.

SHRI NATHU RAM MIRDHA: Sir, they were within the specification. कोई टैण्डर के खिलाफ नहीं लिया। I have said that very specifically. Now, I want to say again why it was sent to the South.

MR. CHAIRMAN: He asked why it was not allowed to be consumed by the military personnel.

SHRI NATHU RAM MIRDHA: No, anybody can consume. Even military personnel can consume it. There is no difficulty. The wheat is consumable by every human being whether it is military personnel or common man or a beggar or a rich man. He can consume.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, he is giving his opinion.

SHRI NATHU RAM MIRDHA: It is not my opinion. It is the opinion of the technical people who deal with quarantine matters.

अमृत बाजार पत्रिका समूह द्वारा नियोजक द्वारा भविष्य निधि के दिए जाने वाले अंशदान का जमा न किया जाना

*163. **श्री मती वीणा वर्मा :**†
श्री कपिल वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता स्थित अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र समूह के प्रबन्ध मंडल ने कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि और ई०एस०आई० में किये गए अंशदान को अभी तक जमा नहीं करवाया है ;

(ख) यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है और उस धन राशि को वसूलने के

†सभा में यह प्रश्न श्रीमती वीणा वर्मा द्वारा पूछा गया।

लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) कानून के अधीन प्रबन्धकों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मैसर्स अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र समूह, कलकत्ता के विरुद्ध भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बाबत अंशदान कर्मचारी हिस्से की बकाया राशियों के बारे में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :—

अवधि	बकाया राशि (रु० लाखों में)
(i) भविष्य निधि नवम्बर, 89 तक	13.81
(ii) कर्मचारी राज्य बीमा नवम्बर 89 तक	7.71

2. यह बताया गया कि क०भ०नि० और क०रा०बी० प्राधिकारियों ने बकाया देय राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है :—

(i) भविष्य निधि

(क) मई, 1989 तक चूक के लिए क०भ०नि० अधिनियम की धारा 14(2—क) के अधीन 16 अभ्यायोजन मामले दायर किए गए हैं ।

(ख) जून, 1989 तक चूक के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत 8 शिकायतें न्यायालयों में सीधे ही दायर की गई हैं ।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा

(क) दिसम्बर, 1988 तक बकाया राशियों की वसूली के लिए क०रा०बी० अधिनियम की धारा 45-ख के अधीन 5 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र दायर किए गए हैं ।

(ख) मार्च 1989 तक चूक के लिए क०रा०बी० अधिनियम की धारा 85 के अधीन 4 अभियोजन मामले दायर किए गए हैं ।

(ग) अप्रैल, 1989 और मई, 1989 से सितम्बर, 1989 महीनों के लिए चूक के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं ।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, this matter has been hanging fire for about a decade and about Rs. 1 crore comprising of contribution towards provident fund, ESI, income tax, professional tax, insurance etc., of 1400 employees have not been deposited by M/s. Amrit Bazar Patrika Group of Newspapers, Calcutta with the concerned authorities and defalcated by them. Now, the statement given by the Minister says that 16 prosecution cases have been filed for provident fund recovery arrears on account of defaults upto May, 1989 and 4 prosecution have been filed under ESI Act for default up to March, 1989. I want to know whether any follow-up action has been taken in the court by the authorities concerned and whether the trial of the accused has begun in the Court. Now that a year has passed after filing of the cases, I want to know the position of the cases. May I know from the Minister, whether the accused have been arrested? The third part of my question is, the Minister's statement says that 8 complaints have besen filed against the company directly in the courts upto June, 1989 for not contributing towards provident fund. I want to know what is the latest position about these cases in the court.

श्री राम विलास पासवान : चेयरमैन सर, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है उसके संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना

है कि अभी तक जेल की सजा नहीं हुई है, सिर्फ एक बार फाइन हुआ है और वह फाइन जो है 1280 रुपये का हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1988 के अंतर्गत तथा और दूसरे विधेयकों के अंतर्गत जो भी कार्यवाही की जा सकती है वह कार्यवाही की गई है। यह आप जानते हैं और जो पोजीशन है वह मैंने आपको बतला दी है।

श्रीमती वीणा वर्मा : बहुत कम हुआ है, जितना किया है . . .

The statement says that five revenue recovery certificates have been issued for realisation of arrears of ESI. May I know from the Minister whether any property of the company has been attached and if so what are the details?

The (b) part of my question is, the Minister's statement says that two complaints have been filed with the Police authorities on account of default towards ESI scheme. I want to know what action the police has taken against the accused? May I know from the Minister whether the accused have been arrested? Why the Police is sleeping over the matter? Is the Police under any pressure?

श्री राम विलास पासवान : चेयरमैन सर, जो एक्शन लिए गए हैं वह मैंने आपको बतला दिया है कि एक्शन जेल का नहीं लिया गया है, जेल नहीं हुई है और जो प्रैशर की बात है, अब ये दो समूह जो हैं इनके संबंध में बराबर पार्लियामेंट में सवाल आते रहे हैं और किन प्रैशर के कारण एक्शन नहीं लिया गया है, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं इस बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

SHRI KAPIL VERMA: It is most surprising and shocking that Amrit Bazar Patrika Group of Newspapers, Calcutta have defalcated the employees' share amounting to Rs. 1 crore. The facts given in the statement are not correct. Not only provident fund, employees' insurance but gratuity, bonus, services scheme and so many other things are there. Insurance policies have elapsed. It is causing a lot of hardship to the employees. They are not getting their dues. I want to know what was the stand of the Government in the court. Why a fine of Rs. 1260 only was imposed? It is a mockery. Have you not tried for a review of all the cases. Secondly, I want to know what is the Government doing about recovery of arrears towards income tax. Income tax deductions have been made from the salaries of employees through TDS, tax deducted at source but they are not being deposited. Will this go on for ten years? Gratuity is not being paid; bonus is not being paid. I want to know what this Government is going to do about it and what it has done already about it. Secondly, when the employers declared a lock-out, the West Bengal Government intervened. The employers gave certain undertakings. I want to know whether those undertakings have been implemented. Have they deposited any money-provident fund or employees' insurance to clear the arrears? Thirdly, the bank was to appoint a receiver. Why the receiver has not been appointed? Only nominee has been appointed.

MR. CHAIRMAN: He has understood your supplementary.

श्री राम विलास पासवान : चेयरमैन साहब, मैंने बतलाया कि जो बकाया राशि है वह . . . (व्यवधान) . . .

श्री सभापति : वह इन्कम टैक्स का पूछ रहे थे . . .

श्री राम विलास पासवान : यह जो उन्होंने प्रश्न पूछा था भविष्य निधि जो राज्य बीमा कर्मचारियों की है उसके संबंध में पूछा लेकिन अभी जो पैसा काटा गया है, ऐंप्लायर के पास रहता है, ऐंप्लायर के ऊपर सारी जिम्मदारी निर्भर करती है इसलिए यह हमको भी लगता है कि ऐंप्लायर को ही देना पड़े और अगर उसका बैड इंटेंशन हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि पास बुक सिस्टम लागू किया जाए। . . . . .

श्री कपिल वर्मा : एंप्लाईज की तनख्वाह से पैसा काटा गया, करोड़ों रुपया काटा गया और गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया गया है। आपकी यह जिम्मेदारी है कि प्रोविडेंड फंड के पैसे जमा न करे तो उनको जेल कर दें। यह आपकी जिम्मेदारी है। लगता है आपका कौल्यूजन है उनके साथ और आप एंप्लाईज को चीट कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति, जी, जहां तक सजा का, टोटल सजा का सवाल है, अगर टोटल क्वेशचन दूसरों के संबंध में पूछ सकते हैं तो मैं अलग से उसका जवाब दे सकता हूं। जो प्रोविडेंड फंड का मामला है, प्रोविडेंड फंड में आप जानते हैं कि दो एरिया होते हैं। एक अनएक्जेम्टेड और दूसरा ऐक्जेम्टेड होता है। अ-ऐक्जेम्टेड का सेक्शन 14 के तहत 1988–89 में जो प्राजीक्यूशन फाइल किया गया है वह 6539 है जिसमें से 2222 का कंविक्शन हुआ।

श्री कपिल वर्मा : चेयरमैन साहब मैं पूछ रहा हूं . . .

श्री सभापति : आप उनको जवाब देने दीजिए। . . . (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जो अंडर सेक्शन 406 और 409 का सवाल है, उसके अंतर्गत 1988–89 में जो कांप्लेन्ट फाइल हुई थीं वह 777 थीं और उनमें से कंविक्शन 18 का हुआ। जो ऐक्जेम्टेड एरिया है उसमें 1988–89 की जो फिगर हैं उनके अनुसार 318 का प्रोजीक्यूशन हुआ जिनमें से 17 का कंविक्शन हुआ। उसी तरह 409 और 406 के अंतर्गत 1988–89 में 80 का प्रोसीक्यूशन हुआ और 4 का कंविक्शन हुआ। इन्होंने सवाल पूछा है प्राविडेंट फंड के संबंध में। उस संबंध में मैंने कहा कि जिस की सजा नहीं हुई है, उस संबंध में 1200 रुपये का फाइन हुआ है। क्यों सजा नहीं हुई है, किस लेवल में यह हुआ है, उसकी डिटेल में इस समय मैं नहीं जाना चाहता। . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत प्रभात और नादर्न इंडिया पत्रिका ये कलकत्ता इलाहाबाद और लखनऊ तीन जगहों से प्रकाशित होती हैं। अभी वीणा जी ने कहा कि इस ग्रुप के अखबार के मालिक को क्यों सजा नहीं हुई, मैं बताना चाहता हूं कि इसके मालिक श्री घोष थे जो अभी दो महीने पहले तक कांग्रेस में थे। . . . (व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि उसके मालिक लोक सभा के सदस्य तरुण कान्ति घोष थे. . . . (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात हिन्दी की पत्रिका जो इलाहाबाद से और लखनऊ से निकलती है यहां के कर्मचारियों के संबंध में मंत्री जी का क्या उत्तर है ? वहां का जो बीमा का रुपया है, प्रोविडेंड फंड का रुपया है वह कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है ? दूसरे जो लखनऊ से उसका प्रकाशन होता है नार्दर्न इंडिया का, अमृत प्रभात का उसको हिन्दुस्तान टाइम्स ले रही है इसलिए ये बंद होने जा रही है तो इसके संबंध में मंत्री जी को कोई जानकारी है या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : इस संबंध में कि बंद होने जा रही है या नहीं अभी जानकारी नहीं है। जानकारी ले लेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है एक्शन लेने का, हमने कहा, कि हम एक्शन लेंगे सबसे बड़ा एक्शन ही होता है. . . .

श्री सभापति : इलाहाबाद वालों को दिलाने के लिए कोशिश करिये।

श्री राम विलास पासवान : तुरन्त कोशिश करेंगे ज्यादा समय में नहीं। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा स्टर्न एक्शन का। माननीय सदस्य को जानकर आश्चर्य होगा कि उनके ऊपर एक करोड़ 29 लाख रुपये बकाया है। जब एक करोड़ 29 लाख रुपये बकाया है तो कोई आदमी उस घाटे का अपने मत्थे पर बर्डन लेना क्यों शुरू करेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह कब का है ? (व्यवधान)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, it is probably known to the hon. Minister that it is a habitual practice in West Bengal that provident fund and ESI contributions are not paid by the jute mills as well as the engineering industry. I would like to know, what steps Government is taking to recover not only the dues but also to ensure that such payments are regularly made so that the workers are saved from this kind of suffering. Can I suggest that no excise payment should be accepted till such dues are paid?

श्री राम विलास पासवान : अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री मोहम्मद अमीन : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोविडेंट फंड और ई.एस.आई. का पैसा जमा न करानें की परम्परा सी चल पड़ी है। खाली अमृत बाजर पत्रिका या दूसरी एक-दो इदारों की बात नहीं है, हिन्दुस्तान में कई ऐसे इदारे हैं जिनके मालिकों ने यह समझ लिया है कि इस तरह का अरबों रुपया दबा कर उस रुपये से दूसरा कोई काम निकालें। कानून जो बना हुआ है वह कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम लोग जो ट्रेड यूनियन के वर्कर्स हैं, इस संबंध में बहुत परेशान हैं। पिछली सरकार के सामने भी यह मामला बार-बार रखा गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। सवाल यह है कि जो मालिक समय पर यह पैसा जमा नहीं कराते, मजदूरों की गाढ़ी कमाई का पैसा, उनके लिए गवर्नमेंट कोई चैक प्वाइंट क्यों नहीं बनाती ताकि देन एड देयर उनको पकड़ा जाए। वरना क्या होगा कि मुकदमा चलेगा और जुर्माना होगा उसके बाद फिर अदालत में हाजिर होंगे। अदालत किश्त बना देगी। दो किश्त की पेमेंट हो जायेगी उसके बाद फिर गायब। फिर तलाश करिये उनकी। यह चक्कर कब तक चलता रहेगा। गवर्नमेंट इस कानून में कोई ऐसा सख्त कदम उठाने का बंदोबस्त करे जिससे वह ऐसा न कर सके। दूसरे हर महीने एक चैकिंग का इंतजाम किया जाए कि उनका पैसा जमा पड़ा या नहीं ?. तो इस संबंध में गवर्नमेंट क्या सोच रही है ?

†[شری محمد امین انصاری :

(اترپردیش) میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پراویڈنٹ فنڈ اور ای ایس آئی کا پیسہ جمع کرانے کی پرمپرا چل پڑی ہے - خالی امرت بازار پتریکا یا دوسرے ایک دو اداروں کی بات نہیں ہندوستان میں کئی ایسے ادارے ہیں - جن کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس طرح کا اربوں روپیہ دبا کر اس روپئے سے کوئی دوسرا کام نکالیں - قانون جو بنا ہے - وہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا - اسلئے ہم لوگ جو ٹریڈ یونین کے ورکر ہیں اس سلسلہ میں بہت پریشان ہیں - پچھلی سرکار کے سامنے بھی یہ معاملہ بار بار رکھا گیا لیکن کوئی حل نہیں نکلا - سوال یہ ہے کہ جو مالک وقت پر پیسہ جمع نہیں کراتے مزدوروں کی گاڑھی کمائی کا پیسہ - انکے لئے گورنمنٹ کوئی چیک پوائنٹ کیوں نہیں بناتی تاکہ دین اینڈ دیئر، انکو پکڑا جاسکا ورنہ کیا ہوگا اسکے بعد پھر عدالت میں حاضر ہوں گے - عدالت قسط بنادے گی - دو قسط پیمنٹ ہوجائیگی اسکے بعد پھر غایب - پھر تلاش کیجئے انکی - یہ چکر کب تک چلتا رہے گا - گورنمنٹ اس قانون میں کوئی ایسا

†Transliteration in Arabic script.

سخت قدم اٹھانے کا بندوبست کرے - جس سے وہ ایسا نہ کریں - دوسرے ہر مہینے ایک چیکنگ کا انتظام کیا جائے کہ ان کا پیسہ جمع پڑا نہیں - تو اس سلسلہ میں گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے -

श्री राम विलास पासवान : पहली बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई मशीनरी नहीं थी । हम सोच रहे हैं कि उसके लिए कोई मशीनरी सैट-अप की जाए । जैसा मैंने पहले कहा कि पैसा जो जमा करता है वह समय पर पहुंच पाता है या नहीं इसके संबंध मे दो ही बातें हमारे सामने है । अभी पूरी छानबीन करनें के बाद पता लगाया कि दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि पैसा पासबुक सिस्टम के जरिये जमा किया जाए, दूसरे आइडेंटीटी कार्ड रखा जाए और तीसरा यह हो सकता है जो पे-बुक है उसमे मेंशन कर दिया जाए । इन तीन चीजों मे जो एम्पलाइज के हक में होगा उसको हम लागू करेंगे ।

Condition of picnic huts in Delhi

*164. SHRI VIRENDRA VERMA:†
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the Statesman, dated 8-1-90 regarding the utter neglect and deplorable condition of the picnic huts constructed by the DDA in Delhi;

(b) if so, what action has been taken by Government to fix the responsibility for the gross callousness in maintaining the DDA picnic huts;

(c) what is the estimated expenditure likely to be incurred on the repairs of these picnic huts; and

(d) what remedial measures have been taken for the proper and timely mantenance of these huts to avoid wasteful expenditure in future ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Virendra Verma.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Four picnic huts in Hauz Khas Deer Park are with Delhi Tourism Development Corporation since September, '89 on licence fee basis and the others are with Delhi Development Authority. Government has noted the points brought out in the Press report and has taken necessary steps to fix the responsibility for proper maintenance of these picnic huts in a suitable manner. Delhi Development Authority is incurring an expenditure of Rs. 7.96 lakhs per annum on the maintenance and upkeep of these huts.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी हट्स दिल्ली टूरिस्ट्स कार्पोरेशन और डी. डी. ए. इन दोनों के पास हैं ?

What is the total number of huts with the Delhi Development Auhority and the Delhi Tourism Development Corporation?

SHRI MURASOLI MARAN: There are 22 such huts in Delhi, for example, in Hauz Khas—4, Tughlakabad—3, Nehru Place—2, Paschim Vihar—4, Ashok Vihar —2, Mehrauli—5, Gokulpuri—2.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 7 लाख 96 हजार रुपए प्रति वर्ष डी. डी. ए. इन हट्स के मेंटेनेंन्स पर खर्च करता है, लेकिन फिर भी इनका ठीक से मेंटेनेंन्स नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने क्या स्टेप्स उठाये हैं जिससे इनकी रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स हो और जिससे भविष्य में इनका रखरखाव ठीक से होता रहे ?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, certain huts are maintained by the Delhi Tourism Corporation and the others are